तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/7157/2022/जयपुर** **रामस्वरूप बनाम प्रभुदयाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्रीमति पूजा शर्मा, अभिभाषक, प्रार्थी।
(2) श्री विकास पाराशर, अभिभाषक अप्रार्थी।

निर्णय **दिनांकः 30.05.2023**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर आदेश दिनांक 29–11–2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश से आगामी दिनांक 20–12–2022 तक अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–08–2022 की क्रियान्विति स्थगित रखी जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं।

2– योग्य अधिवक्तागण की बहस निगरानी के एडमिशन, स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी।

3– योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति में अंकित तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 29–11–2022 अन्तरिम आदेश है जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने आगामी पेशी तक अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति को स्थगित रखा है। अतः अप्रार्थी की प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार की जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्तरिम आदेश के विरूद्ध होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज की जावें।

4– प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 29–11–2022 न्याय,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/7157/2022/जयपुर** **रामस्वरूप बनाम प्रभुदयाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नियम व कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित आदेश अन्तरिम आदेश नहीं होकर अंतिम आदेश है। साथ ही बहस में आगे कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय को निर्देशित किया जावें कि वे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अतः अप्रार्थी की प्रारम्भिक आपत्ति खारिज की जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को ग्राह्यता के स्तर पर ही स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

5– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस निगरानी के एडमिशन, स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति पर सुनी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया।

6– विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 29–11–2022 से आगामी पेशी तक अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–08–2022 की क्रियान्विति स्थगित रखी जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं।

7– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/निगराकार ने विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमू के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसमें विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 18–08–2022 से वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये जिसके विरूद्व विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 29–11–2022 से आगामी पेशी तक अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–08–2022 की क्रियान्विति स्थगित रखी है जो कि अन्तरिम आदेश है क्योंकि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने आगामी पेशी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/7157/2022/जयपुर** **रामस्वरूप बनाम प्रभुदयाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तक ही अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति को स्थगित रखा है। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने भी प्रारम्भिक आपत्ति में यही कथन किया है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अन्तरिम आदेश है जिसके विरूद्ध मण्डल में निगरानी पोषणीय नहीं है। इसलिए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/निगराकार की निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही काबिल खारिज योग्य है।

8– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार कर प्रार्थी/निगराकार की निगरानी को ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज किया जाता है।

9– न्यायहित में विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि विचाराधीन स्थगन प्रार्थना पत्र/अपील पर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 2 माह में विधि तथा तथ्यों के अनुकूल निर्णय पारित करें।

10– उभयपक्ष विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर में आगामी नियत दिनांक पर उपस्थित हो।

11– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)

सदस्य